भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2676

उत्तर देने की तारीख : 16.12.2025

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को कोचिंग

2676. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (डीएएफ) अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों को डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केन्द्र के माध्यम से कोचिंग प्रदान कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश के तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों (जनजातीय विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और केन्द्रीय विश्वविद्यालय) में से एक ने भी डीएएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त तीन विश्वविद्यालयों द्वारा कब तक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने और अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के छात्रों के लिए नि:शुल्क कोचिंग प्रदान किए जाने की संभावना है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री रामदास आठवले)

(क) से (ग): अनुसूचित जातियों (एससी) और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और पीएम केयर्स चिल्ड्रेन के लाभार्थियों के लिए नि:शुल्क कोचिंग योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती है। वर्ष 2023-24 से यह योजना डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान (डीएएफ) द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित डॉ. अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र (डीएसीई) के माध्यम से चलाई जा रही है। इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय को डीएएफ के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने होते हैं। वर्तमान में, 19 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने इस योजना को चलाने के लिए डीएएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य में, तीन (3) केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, अर्थात आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तिरुपति। अभी तक इन तीन (3) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से केवल आन्ध्र प्रदेश केन्द्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय ने डीएएफ के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन अभी तक पाठ्यक्रम शुरू नहीं किया है। विभाग के अनुरोध के बावजूद अन्य दो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

*****